प्रकरण संख्या : 23/2024
उमराव वगै. बनाम राज. सरकार
निर्णय दिनांक : 15.01.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मूलचन्द लूणिया, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	23/2024
दायर दिनांक	:	29.08.2024
निर्णय दिनांक	:	15.01.2025

1. उमराव पुत्र सन्ता जाति मीना, निवासी सैण्ट मेरी स्कूल के पास, चौकीदारों की ढाणी, लालसोट रोड, दौसा तहसील व जिला दौसा, राजस्थान
2. लालू पुत्र कंचन पौत्र सन्ता जाति मीना, निवासी सैण्ट मेरी स्कूल के पास, चौकीदारों की ढाणी, लालसोट रोड, दौसा तहसील व जिला दौसा, राजस्थान
3. कमलेश पुत्र कंचन पौत्र सन्ता जाति मीना, निवासी सैण्ट मेरी स्कूल के पास, चौकीदारों की ढाणी, लालसोट रोड, दौसा तहसील व जिला दौसा, राजस्थान
4. काली पुत्री कंचन पौत्री सन्ता जाति मीना, निवासी सैण्ट मेरी स्कूल के पास, चौकीदारों की ढाणी, लालसोट रोड, दौसा तहसील व जिला दौसा, राजस्थान
5. सुमन पुत्री कंचन पौत्री सन्ता जाति मीना, निवासी सैण्ट मेरी स्कूल के पास, चौकीदारों की ढाणी, लालसोट रोड, दौसा तहसील व जिला दौसा, राजस्थान
6. टिंकू पुत्र मंगला पौत्र सन्ता जाति मीना, निवासी सैण्ट मेरी स्कूल के पास, चौकीदारों की ढाणी, लालसोट रोड, दौसा तहसील व जिला दौसा, राजस्थान
7. राजू पुत्र मंगला पौत्र सन्ता जाति मीना, निवासी सैण्ट मेरी स्कूल के पास, चौकीदारों की ढाणी, लालसोट रोड, दौसा तहसील व जिला दौसा, राजस्थान
8. रतन पुत्र मंगला पौत्र सन्ता जाति मीना, निवासी सैण्ट मेरी स्कूल के पास, चौकीदारों की ढाणी, लालसोट रोड, दौसा तहसील व जिला दौसा, राजस्थान
9. ममता पुत्री मंगला पौत्री सन्ता जाति मीना, निवासी सैण्ट मेरी स्कूल के पास, चौकीदारों की ढाणी, लालसोट रोड, दौसा तहसील व जिला दौसा, राजस्थान
10. सीता पुत्री मंगला पौत्री सन्ता जाति मीना, निवासी सैण्ट मेरी स्कूल के पास, चौकीदारों की ढाणी, लालसोट रोड, दौसा तहसील व जिला दौसा, राजस्थान
11. ललता पुत्री मंगला पौत्री सन्ता जाति मीना, निवासी सैण्ट मेरी स्कूल के पास, चौकीदारों की ढाणी, लालसोट रोड, दौसा तहसील व जिला दौसा, राजस्थान
12. मूली पत्नी कंचन जाति मीना, निवासी सैण्ट मेरी स्कूल के पास, चौकीदारों की ढाणी, लालसोट रोड, दौसा तहसील व जिला दौसा, राजस्थान
13. रामपति पत्नी मंगला जाति मीना, निवासी सैण्ट मेरी स्कूल के पास, चौकीदारों की ढाणी, लालसोट रोड, दौसा तहसील व जिला दौसा, राजस्थान

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:37:31 IST
Reason: SelfAttested

वाद बाबत् उद्घोषणा [illegible] ती इन्द्राज

उपस्थित अधिवक्ता : श्री सतीश कुमार पारीक (वादीगण की ओर से)
पैरोकार सरकार (प्रतिवादी की ओर से)

–: निर्णय :–

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी ... मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

प्रकरण संख्या : 23/2024
उमराव वगै. बनाम राज. सरकार
निर्णय दिनांक : 15.01.2025

वादीगण द्वारा यह वाद पत्र बाबत् उदघोषणा एवं दुरुस्ती इन्द्राज प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम दौसा कलां तहसील दौसा जिला दौसा स्थित खसरा नम्बर 2863, 2999/2, 3000 कुल किता 3 कुल रकबा 0.78 है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में उमराव पुत्र काना, कंचन पुत्र काना, मंगला पुत्र काना के नाम दर्ज है। उमराव, कंचन व मंगला के पिता का नाम सन्ता था जिसे सैटलमेंट कर्मचारियों व अधिकारियों ने काना दर्ज कर दिया। उक्त भूमि के सैटलमेंट पूर्व खसरा नम्बर 1073 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 1114 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा थे जिसकी खातेदारी में खातेदार सैटलमेंट पूर्व उमराव कंचन मंगला पुत्रान सन्ता दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थे। उमराव, कंचन, मंगला के पिता का नाम काना नहीं हैं, सन्ता है। राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा सहवन से काना दर्ज कर दिया गया जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। कंचन व मंगला का भी देहान्त हो चुका है जिनके स्थान पर वादी संख्या 2 लगायत 13 को खातेदार घोषित फरमाये जाने की उदघोषणा फरमाना जाना आवश्यक है। अतः वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रश्नगत आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में उमराव, कंचन, मंगला के पिता का नाम काना के स्थान पर सन्ता दर्ज करने के आदेश तहसीलदार दौसा को प्रदान करने की कृपा करें तथा कंचन व मंगला का देहान्त हो जाने के कारण कंचन के स्थान पर उसके कानूनी वारिसों वादी संख्या 2 लगायत 5 व मंगला के स्थान पर वादी संख्या 6 लगायत 13 को खातेदार घोषित फरमाकर खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गयी। प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रश्नगत आराजी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में उमराव कंचन मंगला पुत्र काना के नाम दर्ज है। प्रश्नगत आराजी के साबिक खसरा नम्बर 1073 व 1114 हैं, जिसके खातेदार उमराव कंचन मंगला पुत्र संत्या जाति मीना दर्ज रिकॉर्ड है। उमराव कंचन मंगला पुत्र काना नाम का कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। काना व संत्या दोनों एक ही व्यक्ति थे। सहवन से रिकॉर्ड में नाम अलग–अलग दर्ज हो गये एवं आम बोलचाल में संत्या व काना दोनों ही नामों से संबोधित किया जाता था।

प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गयीं। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। वादीगण की ओर से वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में उमराव, कंचन, मंगला के पिता का नाम काना के स्थान पर सन्ता दर्ज किया जावे एवं कंचन व मंगला का देहान्त हो जाने के कारण इनके कानूनी वारिसों वादी संख्या 2 लगायत 13 को खातेदार घोषित फरमाया जावे। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब में कथन किया गया है कि प्रश्नगत आराजी उमराव कंचन मंगला पुत्र काना के नाम दर्ज है। काना और संत्या दोनों एक ही व्यक्ति थे। सहवन से रिकॉर्ड में नाम अलग–अलग दर्ज हो गये हैं। इस प्रकार प्रतिवादी (भूमिधारी) ने प्रश्नगत आराजी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज उमराव कंचन मंगला के पिता का नाम काना सहवन से दर्ज होना बताया है एवं काना और सन्ता दोनो एक ही व्यक्ति होना बताया है। अतः प्रश्नगत आराजी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज उमराव कंचन मंगला के पिता का नाम काना को दुरुस्त कर सन्ता किया जाना न्यायोचित है। इसके अतिरिक्त वादीगण द्वारा कंचन व मंगला का देहान्त हो जाने का कथन करते हुए इनके कानूनी वारिसों वादी संख्या 2 लगायत 13 को खातेदार घोषित फरमाने का निवेदन किया है। जहाँ तक कंचन व मंगला के देहान्त हो जाने के कारण इनके वारिसों के नाम खातेदारी दर्ज करने की बात है, प्रतिवादी (भूमिधारी) ने अपने जवाब में कंचन व मंगला के कानूनी वारिसों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है। वादीगण की ओर से भी कंचन व मंगला के कानूनी वारिसों के बारे में कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में कंचन व मंगला के विधिक वारिसान की जाँच किये बिना कंचन व मंगला के हिस्से की भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:37:31 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी दौसा (राज०)

किसी भी वादी को खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 2863, 2999/2, 3000 कुल किता 3 कुल रकबा 0.78 है० वाके ग्राम दौसा कलां तहसील दौसा के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार उमराव, कंचन, मंगला के पिता का नाम "काना" को दुरुस्त कर उमराव, कंचन, मंगला के पिता का नाम "सन्ता" दर्ज किया जावे एवं प्रश्नगत आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार कंचन व मंगला का यदि देहान्त हो चुका है तो कंचन व मंगला के विधिक वारिसान की जाँच कर नियमानुसार नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही पूर्ण की जावे।

निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुहर द्वारा प्रचलित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:37:31 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम दौसा
व इजलास मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस.

1. उमराव पुत्र सन्ता जाति मीना, निवासी सैण्ट मेरी स्कूल के पास, चौकीदारों की ढाणी, लालसोट रोड, दौसा तहसील व जिला दौसा, राजस्थान
2. लालू पुत्र कंचन पौत्र सन्ता जाति मीना, निवासी सैण्ट मेरी स्कूल के पास, चौकीदारों की ढाणी, लालसोट रोड, दौसा तहसील व जिला दौसा, राजस्थान
3. कमलेश पुत्र कंचन पौत्र सन्ता जाति मीना, निवासी सैण्ट मेरी स्कूल के पास, चौकीदारों की ढाणी, लालसोट रोड, दौसा तहसील व जिला दौसा, राजस्थान
4. काली पुत्री कंचन पौत्री सन्ता जाति मीना, निवासी सैण्ट मेरी स्कूल के पास, चौकीदारों की ढाणी, लालसोट रोड, दौसा तहसील व जिला दौसा, राजस्थान
5. सुमन पुत्री कंचन पौत्री सन्ता जाति मीना, निवासी सैण्ट मेरी स्कूल के पास, चौकीदारों की ढाणी, लालसोट रोड, दौसा तहसील व जिला दौसा, राजस्थान
6. टिंकू पुत्र मंगला पौत्र सन्ता जाति मीना, निवासी सैण्ट मेरी स्कूल के पास, चौकीदारों की ढाणी, लालसोट रोड, दौसा तहसील व जिला दौसा, राजस्थान
7. राजू पुत्र मंगला पौत्र सन्ता जाति मीना, निवासी सैण्ट मेरी स्कूल के पास, चौकीदारों की ढाणी, लालसोट रोड, दौसा तहसील व जिला दौसा, राजस्थान
8. रतन पुत्र मंगला पौत्र सन्ता जाति मीना, निवासी सैण्ट मेरी स्कूल के पास, चौकीदारों की ढाणी, लालसोट रोड, दौसा तहसील व जिला दौसा, राजस्थान
9. ममता पुत्री मंगला पौत्री सन्ता जाति मीना, निवासी सैण्ट मेरी स्कूल के पास, चौकीदारों की ढाणी, लालसोट रोड, दौसा तहसील व जिला दौसा, राजस्थान
10. सीता पुत्री मंगला पौत्री सन्ता जाति मीना, निवासी सैण्ट मेरी स्कूल के पास, चौकीदारों की ढाणी, लालसोट रोड, दौसा तहसील व जिला दौसा, राजस्थान
11. ललता पुत्री मंगला पौत्री सन्ता जाति मीना, निवासी सैण्ट मेरी स्कूल के पास, चौकीदारों की ढाणी, लालसोट रोड, दौसा तहसील व जिला दौसा, राजस्थान
12. मूली पत्नी कंचन जाति मीना, निवासी सैण्ट मेरी स्कूल के पास, चौकीदारों की ढाणी, लालसोट रोड, दौसा तहसील व जिला दौसा, राजस्थान
13. रामपति पत्नी मंगला जाति मीना, निवासी सैण्ट मेरी स्कूल के पास, चौकीदारों की ढाणी, लालसोट रोड, दौसा तहसील व जिला दौसा, राजस्थान

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

प्रतिवादी

वाद बाबत् उद्‌घोषणा एवं दुरुस्ती इन्द्राज

मुकदमा नम्बर : 23/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस. एवं हाजरी श्री सतीश कुमार पारीक अधिवक्ता वादीगण एवं पैरोकार सरकार प्रतिवादी की ओर से, मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि आराजी खसरा नम्बर 2863, 2999/2, 3000 कुल किता 3 कुल रकबा 0.78 है. वाके ग्राम दौसा कलां तहसील दौसा के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार उमराव, कंचन, मंगला के पिता का नाम "काना" को दुरुस्त कर उमराव, कंचन, मंगला के पिता का नाम "सन्ता" दर्ज किया जावे एवं उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार कंचन व मंगला का यदि [illegible] हो [illegible] कंचन व मंगला के विधिक वारिसान की जाँच कर नियमानुसार नामान्तकरण दर्ज करने [illegible] कार्यवाही पूर्ण की जावे। तहसीलदार दौसा डिक्री अनुसार पालना करे।

निज ——— मुबलिग ——————[illegible] खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद बशरह ————— फीसदी सालाना आज की तारीख से ता[illegible] अदायगी तक ———— अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15.01.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya

Date: 2025.10.08 17:37:31 IST

Reason: SelfAttested

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम दौसा

मुकदमा नम्बर : 23/2024

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालत नामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजह सबूत	0	0	महन्ताना वकील	0	0
महन्ताना वकील	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	फीस कमिश्नर	0	0
फीस कमिश्नर	0	0	वावत इजराय हुक्मनामा	0	0
वावत इजराय हुक्मनामा	0	0	मुतफरिक	0	0
मुतफरिक	0	0			
मीजान	0	0	मीजान	0	0

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:37:31 IST
Reason: SelfAttested